राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं०एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/1 जे जयपुर, दिनांक : 31.10.2002

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी की गयी इस विभाग की (समय समय पर यथा संशोधित) अधिसूचना सं. एफः 6(179) परि/टैक्स/एचक्यू/95 1 एफ दिनांक 31.03.2000 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में यथा–विनिर्दिष्ट विभिन्न वर्गो के गैर–परिवहन यानों के मामले में एक बारीय कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से विहित करती है :–

सारणी

क्र. सं.	**मोटर यानों के वर्ग का वर्णन**	**एकबारीय कर**
1	**2**	**3**
1.	केवल व्यक्तियों और हल्के वैयक्तिक सामान के प्रवहण के लिए ही सन्निर्मित और उपयोग में लिये जा रहे, दुपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे मोटर यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 10 तक है;	
	(क) व्यष्टियों के नाम से मोटर यान	
	(i) दुपहिया यान	यानों की लागत का 5.0%
	(ii) ऐसे अन्य यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 6 तक है	यानों की लागत का 3.0%
	(iii) अन्य यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 6 से अधिक और 10 तक है	यान की लागत का 4.0%
	(ख) व्यष्टियों से भिन्न अन्य नाम से मोटर यान	
	(i) दुपहिया यान	यान की लागत का 5.0%
	(ii) ऐसे अन्य यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 6 तक है	यान की लागत का 6.0%
	(iii) अन्य यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 6 से अधिक और 10 तक है	यान की लागत का 6.0%
	(ग) ऊपर वर्णित यानों द्वारा खीचें जाने वाले ट्रेलर या साइड कारें	उस यान की लागत का 0.30% जिससे ट्रेलर या साइड कार संलग्न की जाती है।
2.	निःशक्तों के उपयोग के लिए अनुकूलित दुपहिया/तिपहिया मोटर यान	अधिकतम 50 रु. के अध्यधीन रहते हुए यान की लागत का 0.30%
3.	कृषि ट्रेक्टर	यान की लागत का 0.30%

परन्तु ऊपर स्तम्भ सं. 2 में उल्लिखित मोटर यानों के स्वामित्व के अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त एकबारीय कर की पचास प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर संदय होगा किन्तु यह अतिरिक्त कर ऐसे मामलों में संदेय नहीं होगा जिसमें स्वामित्व का अन्तरण मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण मोटर यान के कब्जे के उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम में किया जा रहा हो ।

परन्तु यह और कि राज्य में पहले से या राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में या मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, एक बारीय कर, ऊपर यथा–संगणित कर की रकम को, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सात वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 10% की दर से घटा कर, निकाला जायेगा।

टिप्पणी : यदि उपर्युक्त स्तम्भ सं. 2 में यथावर्णित ऐसे यान भाड़े या पारितोषिक पर चलाये जाते पाये जायें तो ऐसे यान उस पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें वह यान भाड़े या पारितोषिक पर चलाया जाता पाया गया, तत्समान प्रकार के परिवहन यानों के लिए यथा–अधिसूचित कर देने के दायी होंगे।

स्पष्टीकरण :

(i) नये यान/चैसिस के मामले में क्रय बिल में यथादर्शित समस्त करों सहित शोरुम–बाह्य कीमत होगी।

(ii) राज्य के वाहर रजिस्ट्रीकृत/खरीदे गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों के मामले में, और राजस्थान में पहले से रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान के लिए, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है वह लागत होगी जो इस राज्य में तत्समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

(iii) भारत के बाहर विनिर्मित यानों के मामले में समस्त करों ओर उद्ग्रहणों सहित वह रकम होगी जो संदत्त कर दी गयी है, चाहे राजस्थान में नये सिरे से आयातित हो या समनुदेशन के लिए अन्य राज्यों से लाये जायें।

(iv) मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, रजिस्ट्रीकरण के दिन तत्समान प्रकार के यान पर यथा–प्रचलित रकम होगी।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव